जागो मतदाता जागो

उत्तराखण्ड विधान सभा का निर्वाचन दि0 21–2–2007 को निर्धारित है।

यदि आप की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है (1–1–2007 की तिथि को) एवं सामान्यतः उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हों तो आप अपने निवास स्थान के निकटतम मतदान केन्द्र में अपना नाम पंजीकृत कर मतदाता बन सकते हैं।

दिनांक 1–1–2007 के मतदान केन्द्रवार सूची उस विधान सभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास उपलब्ध है। उनके कार्यालय में इस सूची का अवलोकन कर कृपया यह पुष्टि कर लें कि आपका नाम मतदाता सूची में अंकित है। यदि आपका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो कृपया निर्धारित प्रपत्र भर कर विलम्बतः **दिनांक 25–1–2007** तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करें ताकि सत्यापन के उपरान्त आपका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके एवं आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के साथ–साथ **मतदाता फोटो पहचान पत्र** बनाना भी सुनिश्चित करें। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने की तिथि 11–2–2007 तक विस्तारित की गयी है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मताधिकार का प्रयोग करने हेतु **मतदाता फोटो पहचान पत्र अनिवार्य** है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड

<u>नोट</u> :– अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्पर्क करें।

अपने मतदान केन्द्र को जानो। मतदाता सूची में अपना क्रमांक जानो। मतदाता फोटो पहचान पत्र को सुरक्षित रखें।